International Journal of Applied Research 2022; 8(11): 72-76

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(11): 72-76
www.allresearchjournal.com
Received: 01-09-2022
Accepted: 05-10-2022

डॉ. नागेंद्र सिंह भाटी
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
डॉ. नागेंद्र सिंह भाटी
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

लोकतंत्र में स्थानीय शासन की भूमिका – नगरीय निकायों के संदर्भ में विशेष अध्ययन

डॉ. नागेंद्र सिंह भाटी

सारांश
भारत एक लोकतांत्रिक देश है लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी निभाता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार – लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, तथा जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है, जब किसी देश के स्थानीय लोगों की शासन में भागीदारी हो , उन्हें प्रशिक्षण मिले, यह केवल स्थानीय शासन में ही संभव है।
भारत में लोकतंत्र की स्थापना का आधार कहे जाने वाले स्वशासन की इकाइयों मे नगरीय शासन अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नगरीय शासन में त्रिस्तरीय व्यवस्था है जो नगरों के विकास पर बल देती है ।
किसी भी समाज में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को महत्वपूर्ण माना जाता है , क्योंकि इसे ऐसे तंत्र के रूप में देखा जाता है जो लोकतंत्र की जमीनी स्तर पर कार्य करता है। स्थानीय सरकार में स्वशासन शब्द अधिक स्पष्ट रूप से दैनिक जीवन के कार्यों के निवर्हन में लोगों की भागीदारी की अवधारणा पर जोर देता है।
लार्ड ब्रिस के अनुसार स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सबसे अच्छी विचारधारा है और लोकतंत्र की सफलता की सर्वोत्तम गारंटी है।" स्थानीय सरकारों को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में जाना जाता है ।
स्थानीय स्तर के विकास में स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाएं स्थापित की गई। स्थानीय शासन देश की शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सशक्त माध्यम है। स्थानीय स्वशासन का आधार यही है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें भली भांति हल कर सकते है। स्थानीय शासन लोगों व् सरकार के मध्य संचार के एक चौनल के रूप में कार्य करता है । नगरीय शासन की संरचनात्मक, संगठनात्मक, प्रक्रियात्मक एवं वित्तीय सुविधा लाने की आवश्यकता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जातिवाद, सांप्रदायिकता तथा दलगत राजनीति की समाप्ति , कुशल एवं ईमानदार लोगों को प्राथमिकता, नगर पालिका की गरिमा तथा जनता के समक्ष उसके प्रति अच्छा चरित्र प्रस्तुत करना, महिलाओं की संख्या बढ़ाना, व्यापारियों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, राजनीतिक दलों की सकारात्मक भूमिका, जनता की सहभागिता प्राप्त करना आदि सुझाव के कारण योग्य एवं ईमानदार, प्रभावी राजनीतिक एवं प्रशासक नगरीय नेतृत्व प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं । हमें इस दिशा में बढ़ने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, सकारात्मक दृष्टिकोण तथा निष्पक्ष पूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है।

कूटशब्दः लोकतंत्र, स्थानीय शासन, लोकतांत्रिक भागीदारी, नगरीय निकाय, कोविड–19, विकेंद्रीकरण

प्रस्तावना
लोकतंत्र को सबसे कार्यकुशल शासन माना जाता है, क्योंकि इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है । गेटेल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से जनप्रतिनिधि का चयन किया जाता ळें
ब्रिटेनिका शब्दकोश के अनुसार स्थानीय स्वशासन का अर्थ – " पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक प्रतिबंधित एवं छोटे भाग में निर्णय लेने तथा उसको लागू करने वाली सत्ता है।"
किसी भी देश में स्वतंत्र सरकार की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, लेकिन बिना स्थानीय संस्थाओं के इस सरकार की आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को लेकर महात्मा गांधी के विचार तो और भी मजबूत थे। गांधी की नजर में लोकतंत्र का तो अर्थ यह था कि देश के हर नागरिक की व्यापक स्तर पर ऐसी लामबंदी, करना जिससे सबका हित हो, यह बात सच है कि गांधी के लोकतंत्र संबंधी विचार स्थानीय संस्थाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते थे।

वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक देशों में शहरी प्रशासन लगातार जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने की दिशा में अग्रसर हो रहा है ।

लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है – सत्ता का विकेंद्रीकरण होना । लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय शासन है । इस शासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचि पूर्वक भाग लेता है और उसे सही मायने में नागरिकता की शिक्षा प्राप्त होती है। पंडित नेहरू के अनुसार – स्थानीय स्वशासन विकास प्रजातंत्र की मूल इकाई है, जब तक लोकतंत्र के इस नींव को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक ऊपर से थोपा हुआ लोकतंत्र सफल नहीं होगा ।

बी के गोखले के अनुसार – स्थानीय सरकार स्थानीय लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से विशिष्ट इलाके की सरकार है। स्थानीय शासन से ही वास्तविक लोकतंत्र का सपना साकार हो सकता है। स्थानीय संस्थाओं के बिना न तो लोकतंत्र के आदर्शों को साकार किया जा सकता है, और न ही किसी स्थायी लोकतांत्रिक राज्य का विकास संभव है। इस संदर्भ में डीटाकविले ने कहा कि नागरिकों की स्थानीय सभाएं स्वतंत्र राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है ।

लोकतंत्र में स्थानीय शासन राजनीतिक शिक्षा का एक सशक्त साधन है। चर्चिल, सरदार पटेल व नेहरू जैसे सर्वमान्य नेताओं ने अपना सार्वजनिक जीवन स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से ही शुरू किया था। स्थानीय शासन वह आधार है जिस पर लोकतांत्रिक शासन सफल हो सकता है।

हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में किया था। नेहरू के शब्दों में – भविष्य का राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय शासन कि इन संस्थाओं में जो अनुभव प्राप्त करता है, उससे आगे चलकर संपूर्ण राष्ट्र व समाज लाभान्वित होता है। वस्तुतः स्थानीय शासन की संस्थाओं को लोकतंत्र की नींव मजबूत करने के लिए सनातन रूप से स्मरण किया जाता है ।

इस प्रकार स्थानीय शासन लोकतंत्र में स्थानीय जनता तथा राज्य शासन के बीच विचारों व भावनाओं के संप्रेक्षण का माध्यम है। स्थानीय शासन राजनीतिक अनुभव की विविधता को बढ़ावा देकर तथा अपने को लोकतांत्रिक पद्धति पर आधारित सृजनात्मक क्रियाकलाप के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित कर के लोकतंत्र की नमनीयता शक्ति के विकास में योग देता है।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1948 में देश के स्थानीय शासन मंत्रियों के पहले सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था–कि स्थानीय शासन लोकतंत्र की वास्तविक पद्धति का आधार है और होना भी चाहिए।

लोकतंत्र में स्थानीय शासन की आवश्यकता

1. इसके माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है , जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक भी लोकतांत्रिक भागीदारी निभाते हैं ।
2. इसके माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य स्थानीय समस्याओं को विभाजित कर उनका समाधान अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकता है ।
3. महिलाओं को न्यूनतम एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से महिलाएं भी मुख्यधारा में शामिल होती है ।
4. यह स्वस्थ राजनीति की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, जहां से जमीनी स्तर पर समाज के प्रत्येक पहलू की समझ रखने वाले एवं स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील नेता भविष्य के लिए तैयार हो सकते है ।
5. यह जमीनी स्तर पर लोगों में नियोजन और संसाधन और के बेहतर प्रबंधन की भावना पैदा करने में मदद करता है ।
6. स्थानीय शासन से भारत की विविधता को और अधिक सम्मान मिलता है ।
7. स्थानीय लोगों को स्थान विशेष की परिस्थितियों, समस्याओं व चुनौतियों की बेहतर जानकारी होती है, अतः निर्णय में विसंगतियों की संभावना न्यूनतम होती है।

स्थानीय सरकार की प्रणाली को अपनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि इस के माध्यम से देश के सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। विदित है कि लोकतंत्र की सफलता सत्ता की विकेंद्रीकरण पर निर्भर करती है और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही शक्तियों का सही विकेंद्रीकरण संभव हो पाता है ।

इस संदर्भ में लार्ड ब्राइस ने कहा कि–स्थानीय शासन प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षण स्थली या पाठशाला का काम करता है। इस के अभाव में प्रजातंत्र की सफलता की आशा नहीं की जा सकती है। इसी प्रशिक्षण के माध्यम से भविष्य का प्रजातांत्रिक नेतृत्व उभरता है।

लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए अप्रैल 1993 में 73 वां व 74 वां संविधान संशोधन पारित कर स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक संस्था बनाया गया। इसमें 74 वां संविधान संशोधन नगरीय शासन से संबंधित हैं, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ।

स्थानीय स्वशासन की विशेषताएं

1. यह एक स्थानीय क्षेत्र में संचालित होता है ।
2. इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त है ।
3. यह स्वायत्त निकाय है तथा शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए स्वतंत्र है।
4. यह स्थानीय भागीदारी की विशेषता है , जो स्थानीय निवासियों के सीधे संपर्क में होने के कारण प्रतिनिधित्व द्वारा उत्तरदायी व्यवहार सुनिश्चित करता है ।
5. करों और अन्य उपकरणों के माध्यम से धन उन्हे जुटाने की अनुमति है , इसलिए स्थानीय स्तर पर वित्त उपलब्ध इसकी एक और विशेषता है ।
6. यह लोगों को उनके दरवाजे पर नागरिक सुविधाओं को प्रदान करता है ।
7. स्थानीय स्वशासन प्रवेश और भागीदारी दोनों के रूप में विकास प्रशासन के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है ।
8. स्थानीय स्वशासन समग्र राष्ट्रीय प्रगति के लिए मार्ग बनाता है ।

लोकतंत्र मे स्थानीय स्वशासन का महत्व

1. स्थानीय समस्याओं का समाधान = नगरीय समाज की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । केंद्र अथवा राज्य सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह छोटे – बड़े नगरों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सके । इसके अतिरिक्त वह विभिन्न नगरों की समस्याओं से परिचित भी नहीं होती है । स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं स्थानीय स्तर की विभिन्न समस्याओं का समाधान करती हैं तथा स्थानीय नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है। यह सार्वजनिक संबंध में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है ।
2. स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति = यह तंत्र स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिक सक्षम है क्योंकि राज्य सरकार अपने बड़े आकार के कारण कुछ ऐसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं हो सकती है जो स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन इस तंत्र के माध्यम से स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं को जांचा जा सकता है । स्थानीय स्वशासन अपने क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं का पूर्ण करने का प्रयास करता है , उसका दायित्व भी है क्योंकि यदि यह स्थानीय समस्याओं का हल

नहीं ढूंढ पाते हैं तो नगर विशेष की प्रगति नहीं हो पाती है अतः स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति में स्थानीय शासन का विशेष महत्व है ।

3. लोकतंत्रात्मक सरकार का आधार = निसंदेह स्थानीय प्रशासन लोकतंत्र का आधार है। स्थानीय संस्था वह पाठशाला है, जो व्यक्ति को आरंभिक रूप में प्रशासन का प्रशिक्षण प्राप्त होता है । वह अपने अधिकार और कर्तव्य से भी परिचित होता है। यह प्रजातंत्र के शासन की आधार व नींव है । अतः स्थानीय स्वशासन लोकतंत्रात्मक सरकार का आधार माना जाता है। यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है क्योंकि यह लोगों को अपने मामलों का प्रबंध करने का मौका देता है।
4. सरकार के उत्तरदायित्व में कमी = स्थानीय स्वशासन के कारण केंद्रीय व राज्य सरकार की उर्जा स्थानीय समस्याओं के समाधान में नष्ट नहीं होती है, क्योंकि स्थानीय स्वशासन स्वत अपनी अनेक समस्याओं का निराकरण कर लेता है इससे सरकार के स्थानीय उत्तरदायित्व का बोझ कम हो जाता है और समय व वित्त की भी बचत होती है । केंद्र सरकार के बोझ को कम करता है।
5. न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण = स्थानीय समस्याओं का शीघ्र और उचित रूप से समाधान हो सके एवं स्थानीय जनता के साथ न्याय किया जाए , इस दृष्टि से स्थानीय शासन अत्यंत महत्वपूर्ण है । प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे अपनी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए अवसर प्राप्त हो । स्थानीय स्वशासन के अभाव में व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करना पड़ता है । अतः लोकतंत्र में स्थानीय स्वशासन स्थानीय नागरिकों को न्याय दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।
6. स्थानीय स्वशासन की नींव = स्थानीय शासन का स्थापना का अर्थ है – स्थानीय स्वशासन की नीव डालना । जब जनता में स्वशासन की भावना उत्पन्न हो जाती है तो वह स्थानीय स्वशासन को प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास करती है । लोकतंत्र में स्थानीय शासन का विशेष महत्व है । यह लोगों को सभी की सेवा प्रदान करने के लिए सामुदायिक सोच की भावना और महत्व को समझने के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में कार्य करता है और आवश्यकताओं की पहचान और वहाँ संसाधनों के आवंटन में शामिल जटिलताओं को समझते हैं।
7. नौकरशाही पर दबाव और स्वावलंबन की भावना = स्थानीय प्रशासन में जनता के चुने हुए व्यक्ति होते हैं । वे अधिकारियों पर निरंतर दबाव बनाए रखते हैं कि जनता की समस्याओं का समाधान निर्धारित समय पर किया जाए । इन कार्यों से जनता में स्वालंबन की भावना उत्पन्न हो जाती है और नौकरशाही पर दबाव होता है । महात्मा गांधी कहाँ करते थे कि दिल्ली का शासन देश की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता । शक्ति और सत्ता का विकेंद्रीकरण देश की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है । इस दृष्टि से स्थानीय प्रशासन का अपना महत्व है । महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन में शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल देते थे ।
8. मितव्ययिता = स्थानीय स्वशासन में जनता के अनेक प्रतिनिधि बिना किसी आर्थिक लाभ के कार्य करते हैं । इनका उद्देश्य अपने नगर की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है । स्थानीय संस्थाएं स्थानीय नागरिकों के विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने हेतु कुछ कर भी लगाती है, इसलिए स्थानीय व्यक्ति अत्यधिक जागरूक होता है वह चाहता है कि उसके धन का दुरुपयोग ना किया जाए । यही कारण है कि स्थानीय प्रशासन फालतू में जनता का धन नष्ट नहीं करता। इस प्रकार स्थानीय शासन को एक मितवयी शासन माना जाता है ।

नगरीय निकाय

नगरीय शासन व्यवस्था में नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद में शामिल है। नगरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत शहरों की जनता विभिन्न स्तरों पर चुनाव के माध्यम से अपने जन प्रतिनिधियों का चयन करती है, इसी के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी निभाती है।

भारत में स्थानीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं – ग्रामीण एवं नगरीय शासन। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं को मजबूत बनाने एवं उन्हें संवैधानिक आधार प्रदान के लिए जैसा प्रयास 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया, उसी प्रकार का प्रयास नगरीय स्थानीय संस्थाओं के संबंध में 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया ।

भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून 1993 से लागु 74 वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 अ द म्युनिसिपलिटीज शीर्षक से नया जोड़ा गया । इस भाग के माध्यम से नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संविधानिक स्तर प्रदान किया गया। इस भाग में कुल 18 अनुच्छेद (अनुच्छेद 243 त से 242 य छ) इसी के साथ एक नई अनुसूची 12 वीं जोड़ी गई, जिसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया जिन पर नगर पालिका कानून बना सकती है।

इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में स्थानीय शासन में नगरीय निकायों की स्थानीय जनता अपनी सक्रिय व लोकतांत्रिक भागीदारी निभाती है। नगरीय शासन त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित है, जहां पर ये संस्था एवं अपने–अपने स्तर पर शहरी नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अभी नगरीय निकायों में जो लोकतांत्रिक भागीदारी की व्यवस्था है उस के तहत 5 वर्ष में एक बार वोट कर के जनता अपनी भागीदारी निभाती है ।

भारत सरकार में खास तौर से शहरो के लिए ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जहाँ संबंधित शहरों के लोग किसी योजना पर आपसी संवाद कर सके , योजना एवं बनाने वाले लोग आम नागरिकों से संवाद कर सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओ को माध्यम बनाया जैसे – स्मार्ट सिटी योजना ।

नगर निकायों की शक्तियां और दायित्व = नगर निकाय द्वारा निष्पादित कार्य , दायित्व और उनकी शक्ति व सत्ता के संदर्भ में 74 वे संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर इन संस्थाओं को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियॉ और सत्ता दे सकेंगे । देश के नगर निकाय द्वारा किए जा रहे कार्यों की एक सूची संविधान की 12वीं अनुसूची में इस संशोधन के माध्यम से जुड़ी गई, जो इस प्रकार से है।

12 वी अनुसूची के कार्य

1. नगर आयोजना
2. भूमि का विनियमन – भवनों का निर्माण एवं उपयोग
3. आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना
4. सड़क और पुल
5. घरेलू उद्योग एवं व्यवहारिक योजनाओं के लिए जल प्रदाय
6. लोक स्वास्थ्य , और सफाई आदि
7. अग्निशमन सेवाएं
8. नगरीय वानिकी एवं पर्यावरण संरक्षण
9. कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण (मानसिक रूप से कमजोर एवं विकलांगो सहित)
10. गंदी बस्तियों का विकास एवं उत्थान
11. निर्धनता निवारण
12. बाग , उद्यान , खेल के मैदान आदि की सुविधाएं जुटाना

13. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उत्थान
14. दाह– गृहो , विद्युत दाह गृहो आदि का निर्माण
15. काजी घर एवं पशुओं के प्रति निर्दयता का निवारण
16. जन्म एवं मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण
17. सड़कों का विद्युतीकरण , वाहन खड़े करने का स्थान , बस स्टॉप आदि का निर्माण ।
18. बूचड़खानों का विनियमन ।

कोविड–19 में नगरीय निकायों के कार्य एवं नवीन चुनौतियां:–
कोविड–19 जैसी विश्वव्यापी महामारी ने पूरे विश्व जगत को हिला दिया। इस महामारी का स्थानीय शासन की नगरीय निकायों की संस्थाओं पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा तथा अनेक नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी में नगरीय निकाय की संस्थाओं के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने कर्तव्य निष्ठा व एकता का परिचय देते हुए आमजनता की महामारी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान किया ।

1. निकायों के कर्मचारियों द्वारा शहर के नागरिकों को जागरूक किया गया कि मास्क लगा कर ही घर से बाहर निकले कोविड–19 के नियमों का पालन करें एवं अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले ।
2. कर्मचारियों द्वारा बिना मास्क लगाए पाए जाने पर दुकानदारों को समझाइश के रूप में चालानी कार्रवाई की गई तथा लोगों को निःशुल्क मास्क भी दिए।
3. निकाय के कर्मचारियों द्वारा दुकानों के बाहर शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए गोले बनाए गए, जिससे कि लोग 6 गज की दूरी बनाए रखें ।
4. कर्मचारी द्वारा शहरों में टीकाकरण के लिए नागरिकों को विभिन्न प्रचार माध्यमों से जागरूक किया गया ।
5. निकायों के वाहनों व दमकलों द्वारा शहर के वार्डो व सार्वजनिक स्थानों पर सेनेटाइजर का छिड़काव किया गया ।
6. निकाय के सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी जान जोखिम में डाल कर पीपीई किट पहनकर कोविड–19 में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया ।
7. नगरीय निकाय द्वारा भामाशाह व स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से गरीब व जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क राशन की व्यवस्था की गई तथा उनकी सूची बनाकर खाद्य कीट घर तक पहुंचाए गए।
8. निकायों के कर्मचारियों द्वारा बाहरी राज्यों से आए लोगों को होम क्वरेंटीन में रहने के लिए जागरूक किया तथा उनका रिकॉर्ड रखकर सामुदायिक भवन में ठहराने की निःशुल्क व्यवस्था की।

देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी की भयानक की स्थिति को देखते हुए स्थानीय शासन की संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तुरंत व निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया इस के लिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर प्रशासन की समस्याओं को दूर करने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देश में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए सभी नागरिक इस कोरोना महामारी के विरुद्ध मानवता व एकता का परिचय देते हुए एकजुट होकर इस बीमारी को हराए
इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों की सक्रिय भूमिका होनी बहुत जरूरी है क्योंकि स्थानीय स्तर की संस्था के कर्मचारियों द्वारा ही गांवों व शहरों में फैले कोरोना महामारी को नियंत्रित किया जा सकता है
इस प्रकार कोरोना काल में नगरीय निकायों के कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ – साथ वार्ड सदस्य, पार्षदों, समर्पित स्वयंसेवकों, स्वयं सहायता समूह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं इत्यादि का विशेष सहयोग रहा। मानवता का परिचय देते हुए सभी ने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए अपनी लोकतांत्रिक भागीदारी निभाई ।

नगरीय स्थानीय शासन की प्रमुख समस्याएं

1. आर्थिक संसाधनों का अभाव = भारत में नगरीय शासन की असफलता का मुख्य कारण आर्थिक संसाधनों का अभाव है क्योंकि बिना आर्थिक संसाधनों के जन हित में कार्य नहीं कर सकती है। वित्तीय संसाधनों के अभाव में स्थानीय शासन संस्थाओं की स्थापना का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है।
2. कुशल एवं योग्य कार्मिकों की समस्या = भारत में स्थानीय शासन की एक प्रमुख समस्या यह रही है कि यह संस्थाएं योग्य एवं क्षमता के कर्मचारियों की भर्ती में असफल रही है। भारत में स्थानीय नगरीय निकाय में भर्ती के लिए किसी एक प्रणाली का अभाव है ।और नियुक्तियां व्यक्तिगत पहुंच, प्रभाव एवं जान–पहचान आदि के आधार पर होती है।
3. भ्रष्टाचार = स्थानीय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार आज देश के समक्ष बड़ी चुनौती है भ्रष्ट प्रशासन के द्वारा गरीब और अशिक्षित जनता का शोषण किया जाता है । रिशवत के बिना अनेक कर्मचारी काम नहीं करते । प्रत्येक विभाग में न्याय कार्य के संपादन में अनुचित विलंब किया जाता है अतः सामान्य नागरिक को विवश होकर रिश्वत देनी पड़ती है।
4. प्रशिक्षण का अभाव = स्थानीय शासन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इस से अधिकांश वे लोग जुड़े हैं जो पहली बार प्रशासनिक भागीदारी निभा रहे हैं। इनके पास में जानकारी एवं प्रशासनिक अनुभव का अभाव है तथा प्रशिक्षण देने हेतु कोई वैज्ञानिक तकनीकी नहीं है। योग्य शिक्षकों का अभाव रहता है तथा निरंतर प्रशिक्षण नही दिया जाता है।
5. जातिवाद की समस्या = जातिवाद की भावना स्थानीय शासन की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है । जातिवादी राजनीति एवं जातिगत आरक्षण के कारण प्रत्येक जाति अपने स्वार्थ को सर्वोच्च महत्व देती है जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व में बाधा उत्पन्न करती है।
6. शिक्षा का अभाव = स्थानीय शासन संस्थाओं की सर्वाधिक विकट समस्या इन के सदस्यों में शिक्षा का अभाव है। और अशिक्षित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकारों योजना तथा कार्य प्रणाली की जानकारी का अभाव होता है जो कि एक प्रमुख समस्याएं है।

नगरीय स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव

= लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्थानीय शासन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। इस दिशा में नगरीय स्थानीय शासन में शिक्षित उम्मीदवारों को आगे आना चाहिए तथा जातिवाद से दूर हट कर वास्तविक अर्थों में स्थानीय शासन की भागीदारी निभानी चाहिए । राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शासन को वित्त सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए , कुशल एवं योग्य अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए तथा समय–समय पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए , जन सहभागिता को बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करने चाहिए, प्रशासन शहरों के संग अभियान को सफल बनाने के लिए मिलजुल कर कार्य करना चाहिए , आम जनता को जागरूक करना चाहिए इत्यादि ।

निष्कर्ष

इस प्रकार स्थानीय संस्थाएं प्रजातंत्र के लिए नींव के रूप में कार्य करती है, यह नागरिकों को देश की राजनीति में सक्रिय

रूप से भाग लेने का सुअवसर प्रदान करती है। प्रजातंत्र की नींव एवं उसका आधार स्थानीय निकायों द्वारा मजबूत बनाया जाता है, जब तक देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं को उत्तरदायी तथा शासन की नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में भागीदार अनुभव नहीं करता, तब तक राष्ट्र में प्रजातंत्र केवल सैद्धांतिक रूप में ही रहता है व्यवहारिक रूप में नहीं । इसी कारण स्थानीय शासन को लोकतंत्र की पाठशाला का जाता है ।

इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता के आगमन के साथ स्थानीय स्वशासन का महत्व और अधिक बढ़ गया है । उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए बुनियादी नागरिक सुविधाओं को प्रदान करें, बल्कि कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और निर्णय लेने और शासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए स्थानीय सहायता और सावर्जनिक सहयोग भी जुटाता है।

स्थानीय स्वशासन की सफलता के लिए जनता में उच्च नैतिक चरित्र, ईमानदारी तथा सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। जनता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग जातीय व धार्मिक भावना के आधार पर नहीं बल्कि उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर करना चाहिए। केंद्रीय या प्रांतीय शासन के नियंत्रण एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्वतंत्रता के मध्य संतुलन में ही स्थानीय स्वशासन की सफलता का रहस्य छुपा हुआ है।

संदर्भ

1. माहेश्वरी एस आर, भारत में स्थानीय शासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशक आगरा – 2020, पृष्ठ संख्या 12–13
2. शर्मा अशोक, भारत में स्थानीय प्रशासन, आर बी एस ए पब्लिशर्स , जयपुर – 2021, पृष्ठ संख्या 11–12
3. शेखावत डॉ प्रदीप सिंह, शहरी विकास अभिकरण के आयाम, अखंड पब्लिशिंग हाउस , दिल्ली – 2018, पृष्ठ संख्या 31–32
4. जोशी प्रो. आरपी व भारद्वाज डॉ अरुणा, भारत में ग्रामीण एवं स्थानीय शासन , राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर– 2009, पृष्ठ संख्या 2–3
5. जैन डॉ. पुखराज एवं फड़िया बी एल, भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन आगरा – 2012
6. फड़िया डॉ बी .एल, भारत में लोक प्रशासन, साहित्य भवन आगरा – 2014, पृष्ठ संख्या 757–758
7. पालिका विकास, पत्रिका अगस्त – सितंबर– 2021, पृष्ठ संख्या 1–2
8. लेख स्थानीय शासन सफल या असफल ? दृष्टि पत्रिका पृष्ठ संख्या 3–4
9. अरोड़ा ,आर के गोयल,आर (1995) इण्डियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन , विश्व प्रकाशन , नई दिल्ली ।
10. अवस्थी ए सी (1982) मुंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा
11. सचदेवा , प्रदीप (2007) " भारत में नगरीय स्थानीय सरकार एवं प्रशासन " किताब महल , इलाहाबाद , प्रश्न संख्या 50 – 51
12. सिन्हा , वी एम (1986) , भारत में नगरीय सरकारें , राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर, प्रश्न संख्या 25 – 26